फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 157/23
जीसीएमएस : 2023/469

दायर दिनांक : 23.11.2023

निर्णय दिनांक : 23.10.2024

प्रार्थी :–

1. श्री महेन्द्र कुमार पिता रोशनलाल कोठारी महाजन निवासी गिरधर नगर सर्किल 80 आरचिड ग्रीन शाहीबाग अहमदाबाद जिला अहमदाबाद।
2. श्री दिनेश कुमार पिता रोशनलाल महाजन निवासी 76 टेगोर नगर हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर।
3. श्री बालकृष्ण पिता रोशनलाल कोठारी माहजन निवासी 13 निर्मल विहार, हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर।
4. श्री रघुवीरसिंह पिता रोशनलाल कोठारी महाजन निवासी एकलिंग कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर।
5. श्री भरत कुमार पिता रोशनलाल कोठारी महाजन निवासी बी ब्लॉक केन्द्रीय विद्यालय के सामने प्रतापनगर उदयपुर।
6. श्री शैलेश कुमार पिता रोशनलाल कोठारी महाजन निवासी 303 श्रीतुलसी हाईट्स ठोकर चौराहा उदयपुर।
7. श्रीमती प्रेमलता पुत्री रोशनलाल कोठारी पत्नी सत्यनारायण विजयवर्गीय महाजन निवासी मेन बस स्टेण्ड बिजोलिया जिला भीलवाडा।
8. श्रीमती स्नेहलता पुत्री रोशनलाल कोठारी पत्नी रामसहाय विजयवर्गीय महाजन निवासी पुराने अस्पताल के पास कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. श्रीमती जानकीदेवी पत्नी रोशनलाल कोठारी महाजन निवासी 76 टेगोर नगर हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर।

विपक्षी :–

1. श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेश सोनी निवासी माताजी की गली तह. वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 23.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की पूर्व पेशी पर एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 3501 के दक्षिणी दिशा का सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस भूमि की पत्थरगढी करवाना चाह रहे हैं वह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं, जिसमें विपक्षी सं. 1 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण की भूमि की केवल मात्र पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 3501 किता 1 रकबा 0.4128 हेक्टेयर भूमि की दक्षिण दिशा का सीमांकन कर पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार मावली को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested